कार्यालय कलेक्टर (पंचायत), जिला कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/405 /पंचा./निर्वा./2024 कबीरधाम, दिनांक 12.12.2024

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी
   राजस्व, अनुविभाग–कवर्धा/बोड़ला/स.लोहारा/पंडरिया
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत–कवर्धा/बोड़ला/स.लोहारा/पंडरिया
   जिला–कबीरधाम (छ.ग.)

विषयः– **त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों यथास्थिति पंच/सरपंच/जनपद पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन।**

संदर्भ :– छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा, रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/5644/1773/22–2/2024, अटल नगर, दिनांक 11.12. 2024 (अनुदेश–08)

––00––

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त कार्यक्रम अनुसार जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों यथास्थिति पंच/सरपंच/जनपद पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन दिनांक 12.12.2024 आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त सूचना को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना फलक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु चस्पा कराकर, पावती इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला कबीरधाम

पृ. क्रमांक/406/पंचा./निर्वा./2024 कबीरधाम, दिनांक 12.12..2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी (स्था. निर्वाचन) जिला कार्यालय कबीरधाम को सूचनार्थ। जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों यथास्थिति पंच/सरपंच/जनपद पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन दिनांक 12.12.2024 को अपने कार्यालय के सूचना फलक में चस्पा कराकर अवगत करावें।
2. उपसंचालक पंचायत, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ। जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों यथास्थिति पंच/सरपंच/जनपद पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्यों का प्रवर्गवार आरक्षण हेतु सूचना का प्रकाशन दिनांक 12.12.2024 को जिला पंचायत के सूचना फलक में चस्पा कराकर अवगत करावें।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ। उक्त सूचना को जिले के दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम (छ.ग.) सत्यमेव जयते

कलेक्टर
जिला कबीरधाम

कार्यालय कलेक्टर (पंचायत), जिला कबीरधाम (छ.ग.)

//आम सूचना//

क्रमांक/404 /पंचा./चुनाव/2024 कबीरधाम, दिनांक 12.12.2024

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, एतद् द्वारा, सर्व साधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है, कि जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण के लिये नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा किये जाने का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जनपद पंचायत/जिला पंचायत का नाम	कार्यवाही विवरण	स्थान का विवरण	कार्यवाही का दिनांक	कार्यवाही प्रारंभ का समय
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद पंचायत कवर्धा	ग्राम पंचायत के वार्डो/सरपंच पद, जनपद पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों का अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही।	विवेकानंद भवन, जनपद पंचायत के पिछे–कवर्धा	17.12.2024 से 19.12.2024	प्रातः 10:30 बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक
2	जनपद पंचायत बोड़ला	ग्राम पंचायत के वार्डो/सरपंच पद, जनपद पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों का अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही।	आदिवासी मंगल भवन, कवर्धा	17.12.2024 से 19.12.2024	प्रातः 10:30 बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक
3	जनपद पंचायत पंडरिया	ग्राम पंचायत के वार्डो/सरपंच पद, जनपद पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों का अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही।	वीर सावरकर भवन, कवर्धा	17.12.2024 से 19.12.2024	प्रातः 10:30 बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक
4	जनपद पंचायत स.लोहारा	ग्राम पंचायत के वार्डो/सरपंच पद, जनपद पंचायत क्षेत्रों के सदस्यों का अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही।	जिला पंचायत, सभागार कबीरधाम	17.12.2024 से 18.12.2024	प्रातः 10:30 बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक
5	जिला पंचायत कबीरधाम	जनपद पंचायत अध्यक्ष/जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., अनारक्षित एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही।	जिला पंचायत, सभागार कबीरधाम	19.12.2024	प्रातः 10:30 बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक

उपरोक्त वर्णित कार्यवाही के समय सर्व साधारण की जानकारी एवं नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपस्थिति हेतु सूचना प्रकाशित की जाती है।

कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला कबीरधाम